न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2023 G.C.M.S. No. 2023/135 दर्ज दिनांक :01.02.2023

अपीलार्थिगण:

1. रमेश कुमार पुत्र स्व. हेमराज,
2. सुमन पुत्री स्व हेमराज
3. कमला देवी पुत्री स्व. हेमराज,
4. प्यारी देवी स्व. हेमराज,
5. पारू देवी पत्नी स्व. हेमराज,
6. बाबुलाल पुत्र स्व. हेमराज, जातियान कळबी, निवासीगण जाणियों की ढाणी, तहसील बागोडा जिला जालोर
7. भूरा पुत्र सवारामजी,
8. रणछोडा पुत्र सवारामजी, जातियान चौधरी, निवासीगण जाणियों की ढाणी, तहसील बागोडा जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. प्रभु पुत्र ठाकरी
2. पीरा पुत्र ठाकरी
3. सीता पत्नी ठाकरी
4. स्व. सोना पुत्र सरूपा के कायम मुकाम
   - 4/1 सांवलाराम पुत्र सोना
   - 4/2 चमनाराम पुत्र सोना
   - 4/3 रेखाराम पुत्र सोना
   - 4/4 आम्बाराम पुत्र सोना
   - 4/5 तीजा देवी पत्नी स्व. सोना
5. तगा पुत्र हकमा
6. नरसी पुत्र हकमा
7. बाबरा पुत्र हकमा
8. रगु देवी पत्नी भलाराम, जातियान कळबी, निवासीगण जाणियों की ढाणी, वाडानया, तहसील बागोडा जिला जालोर
9. भूमिधारी जरिए दहसीलदार बागोडा, जिला जालोर
10. शाखा शाखा प्रबंधक, ICICI Bank Ltd शाखा भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर(छवि 2 से)
11. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धुम्बडिया तहसील बागोडा जिला जालोर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

12. शाखा प्रबन्धक, जालोर सहकार भूमि विकास बैंक शाखा भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर

13. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2018 बअनवान प्रभु बनाम भूरा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.11.2022

पैरोकारः–

1. श्री केसाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2018 बअनवान प्रभु बनाम भूरा में पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जाणियों की ढाणी (वाडानया) तहसील बागोडा में नए खसरा नम्बर – 707 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जाणियों की ढाणी (वाडानया) तहसील बागोडा में नए खसरा नम्बर–720 रकबा 1.42 हैक्टयेर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जाणियों की ढाणी (वाडानया) तहसील बागोडा में नए खसरा नम्बर– 717 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म बारानी दोयम स्थित हैं। उक्त आराजी में प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट्स की अलग–अलग रहवासीय ढाणियां बनी हुई हैं एवं इन पर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सिंचाई की जाती आ रही हैं। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की आराजी के चारों तरफ खातेदारी खेत आए हुए है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता रास्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 707 के पूर्वी दिशा की तरफ अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या–1 से 3 की खातदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर–706 रकबा 2.76 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम एवं इससे आगे पूर्वी दिशा की तरफ अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–4 व अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या–5 की खातेदारी कृषि भूमि क्रमशः खसरा नम्बर–704 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर–1335/704 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा जाणियों की ढाणी (वाडानया) में स्थित हैं। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–5 से 7 अपने खेत खसरा नम्बर 717 में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 707 व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या–4 के खसरा नम्बर–720 में से आपसी सहमति से आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट राजीखुशी से खसरा नम्बर–707, 717 व 720 में से आवागमन करते हैं इसलिए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्स के मध्य खसरा नम्बरान में रास्ता दर्ज करवाने बाबत् कोई विवाद नहीं हैं। अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की आराजी खसरा नम्बर–706, 704, 1335/704 के पूर्वी दिशा की तरफ सरकारी रास्ता ग्रेवल सडक स्थित हैं। उक्त रास्ते से होकर अप्रार्थी / अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या–4 अपनी आराजी में प्रवेश करते है तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट के खेत से निकटतम दूरी का रास्ता हैं, जो प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट के आवागमन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट के पास अपनी आराजी खसरा नम्बर–717, 720, 707 में प्रवेश करने के लिए, जुताई का साधन ट्रेक्टर, ट्रोली, थ्रेशर, बेलगाडी आदि लाने, ले जाने के लिए कोई मार्ग राजस्व रेकर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट, अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की आराजी खसरा नम्बर–706, 704, 1335/704 के उत्तरी माठ एवं प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की आराजी खसरा संख्या–717 तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल रंग से दर्शित 4 मीटर चौडा रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को इस बारे में मौखिक तौर पर कई बार अनुरोध किया कि उन्हें अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करने के लिए उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर– 706, 704, 1335/704 के उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 04 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध करवा लेंवे, ताकी वह सरलता से अपनी कृषि भूमि पर कृषि उपकरण सहित प्रवेश कर सकें, परन्तु अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या–4 इस हेतु सहमत नहीं हुए। आज से पांच रोज पहले भी प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट ने अप्रार्थी/अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को उक्त परिशिष्ट–अ में लाल रंग से दर्शित रास्ता दिलाने हेतु अनुरोध किया तो अप्रार्थी / अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी / अपीलान्ट संख्या–4 ने रास्ता देने से साफ इंकार कर दिया, नक्शा परिशिष्ट–अ के अनुसार खसरा नम्बर– 706, खसरा नम्बर 704 सम्पूर्ण रकबा, खसरा नम्बर–1335/704 आराजी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग होगी। इसलिए माननीय न्यायालय यदि कोई प्रतिकर अप्रार्थी / अपीलान्ट संख्या–1 से 3 व 5 एवं अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को संदाय करने के लिए आदेशित करेगा तो प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट व प्रतिकर नियमानुसार अदा करने को तैयार व तत्पर हैं। प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 707 व 720 में से उपरोक्त रकबा की भूमि रास्ता के रूप में दर्ज करवाने हेतु सहमत हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक–22.11.2022 को निणर्य पारित किया जिसकी जानकारी पटवारी हल्का डुंगरवा द्वारा दी गयी कि रेस्पोडेन्ट सं 1 लगायत 7 के हक में फैसला हो गया हैं जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह पूछने पर कि किस बात का फैसला हुआ है तो पटवारी हल्का द्वारा यह जानकारी दी गयी कि आपके खातेदारी भूमि से रास्ता निकाला जायेगा जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक–2.01.2023 को प्रस्तुत किया एवं दिनांक 09.01.2023 को नकल प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 ने अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा जाणियों की ढाणी तहसील बागोडा के खसरा नम्बर 707 व 720 से लगता हुआ रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी आराजी खसरा सं. 706 की आयी हुई हैं। उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर की आराजी एक खातेदारी आराजी है जो दो खसरा नम्बरों में विभक्त है तथा दोनो खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट सं 1 से 7 के मालिकाना हक खातेदारी आराजी हैं तथा जिसका उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 द्वारा किया जा रहा हैं तथा खसरा नम्बर 707 व 720 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 609 हैं जहां से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 आवागमन करते हैं तथा अन्य खेतों के काश्तकार आवागमन करते हैं। उपरोक्त अनवान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार बागोडा के द्वारा गलत रूप से रिपोर्ट जांच की गई थी एवं उसमें भी वर्णित किया गया कि खसरा नम्बर 707 के आगे नजदीक खसरा संख्या–609 हैं फिर भी अधिनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या–706 से प्रस्तावित की जबकि उनकी रिपोर्ट स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर–707 व 720 के सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर–609 हैं एवं रिपोर्ट बनायी तब अपीलान्ट्स से किसी प्रकार से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये न ही मौके पर आकर रिपोर्ट बनायी गयी हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 का आवागमन होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बागोडा द्वारा गलत रूप से रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। अपीलान्ट के समन के पुश्त पर फर्जी रूप से हस्ताक्षर करवाकर तामील कुनिन्दा से तामील करवाई गयी। तामीलशुदा नोटिस में अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर करवा गए हैं। उक्त तामील कुनन्दा ने रेस्पोडेन्ट सं 1 से 7 के साथ मिलकर उक्त फर्जी तामील करवाई थी तथा उक्ततामील आदेश 05 नियम 15 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत् नहीं करवाई गयी हैं। इसलिए निर्णय स्वतः निरस्त योग्य हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक–22.11.2022 को आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं क्योंकि दिनांक–26.11.2019 को अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गयी जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में अपीलान्ट को जानकारी भी नहीं थी उसके बाद दिनांक–08.02.2022 को पत्रावली हेमराज के फौत होने पर टाईटल संशोधन पेश करने हेतु आदेशिका लिखी गयी, बिना संशोधित टाईटल पेश किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही निर्णय जारी कर दी गयी जो कानूनन सरासर गलत हैं क्योंकि किसी भी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के तहत् अपने अपने कथन, साक्षय, शपथ पत्र प्रस्तुत करके मामला साबित करना पडता हैं परन्तु उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय साक्ष्य अपीलान्ट की लेना उचित नहीं समझा, सीधे ही पत्रावली में निर्णय जारी कर दी गयी। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्णय दिनांक–22.11.2022 को जारी की हैं क्योंकि उक्त निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जारी की हैं। अपीलान्ट सं 1 लगायत 6 हेमराज के वारिसान हैं। हेमराज की मृत्यु दिनांक 11.12.2021 को हो चुकी हैं। रेस्पोडेन्ट सं 1 लगायत 7 ने इसकी सूचना अधिनस्थ न्यायालय में मौखिक रूप से दी थी जबकि उनके वारिसानों को रेकर्ड पर नहीं लिया गया, सीधे ही निर्णय पारित कर दी।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हेमराज के कायम मुकाम वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जो निर्णय पारित की है जो हर सूरत में निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलान्ट्स की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–31/2018 अनवान प्रभु पुत्र ठाकरी वगैरा बनाम भूरा पुत्र सवा वगैरा में निर्णय दिनांक–22.11.2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा के उपरोक्त निर्णय को खारिज फरमाकर प्रकरण पुनः नये सिरे से सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 07 ने सरहद मौजा जाणियो की ढाणी वाडानया तहसील बागौड़ा के खसरा नम्बर खसरा नंबर 707, 720, 717 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलण्ट्स की आराजी खसरा नम्बर 706, 1335/704, 720 707 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.11.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 720, 707, 706, 704, 1381/1335 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अंकन अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन आदेश द्वारा नक्शा परिशिष्ट अ के मुताबिक रास्ता स्वीकृत करते हुए खसरा संख्या 707, 720 के सहखातेदारान द्वारा बिना प्रतिफल रास्ता समर्थन हेतु सहमत होना तथा खसरा संख्या 706, 704, 1381/1335 मे से बी से सी रास्ता स्वीकृत करते हुए प्रतिफल निर्धारित किया गया।
3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अंकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 08.02.2022 के अंकन अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 के फौत होने तथा संशोधित शीर्षक पेश करने के लिए समय चाहा गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संसोधित शीर्षक प्राप्त किए बिना व कायम मुकाम की कार्यवाही किए बिना, मृतक हेमराज के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध है।
4. पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रभावित खातेदारान को न तो सूचित किया गया, न ही प्रभावित खातेदारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, साथ ही भू.अ.नि. द्वारा पहुच हेतु सभी संभव विकल्प नहीं दर्शाकर प्रार्थी की मांग के अनुरूप एकमात्र विकल्प प्रस्तावित कर दिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी गौर किए बिना

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में निकटतम दुरी के विकल्प का कोई परीक्षण नहीं हुआ, जो कि धारा 251क के प्रकरणों में आज्ञापक है। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2018 बअनवान प्रभु बनाम भूरा में पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में अपीलांट को जवाब एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
न्यायाधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली